(ख) यह मंत्रालय दो मासिक विधि रिपोर्टें हिन्दी में प्रकाशित कर रहा है जिनमें से एक में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और दूसरी रिपोर्ट में विभिन्न उच्च न्यायालयों के चुने हुए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। यह "विधि साहित्य समाचार" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित कर रहा है। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अन्य निकायों द्वारा राजभाषा में कितनी विधि पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं

(ग) जी नहीं।

हिन्दी में विधि कक्षाएं

1414. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जहां विधि की पढ़ाई हिन्दी में हो रही है;

(ख) वे कौन-कौन से उच्च न्यायालय हैं जहां बहस तथा निर्णयों के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाता है और ऐसे कौन से उच्च न्यायालय हैं जहां न तो बहस ही हिन्दी में होती है और न ही न्याय हिन्दी में लिखे जाते हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि जिन अधिवक्ताओं ने विधि का अध्ययन हिन्दी में किया है उन्हें दिल्ली में वकालत करने की अनुमति नहीं दी जाती है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) ऐसी संस्थाओं के नाम, जहां विधि शिक्षण का माध्यम हिन्दी है, उपलब्ध नहीं है। तथापि, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में, प्रथम डिग्री स्तर पर विधि-शिक्षण अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में भी होता है :

बिहार :

(1) पटना (2) एच०एन० मिथिला
(3) पटना

मध्य प्रदेश :

(1) ए० पी० सिंह (2) जबलपुर
(3) जीवाजी (4) रविशंकर
(5) विक्रम (6) इन्दौर

राजस्थान :

(1) राजस्थान (2) उदयपुर

उत्तर प्रदेश

(1) आगरा (2) इलाहाबाद
(3) अवध (4) काशी हिन्दू विश्व-
(5) बुन्देलखंड विद्यालय
(6) गढ़वाल (7) गोरखपुर
(8) कानपुर (9) कुमाऊं
(10) लखनऊ (11) मेरठ और
(12) रुहेलखण्ड

गुजरात :

(1) गुजरात (2) सरदार पटेल
(3) सौराष्ट्र और (4) दक्षिण गुजरात

(ख) संविधान के अनुच्छेद 348(2) और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के निबंधनों के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च-न्यायालय द्वारा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अब तक ऐसे चार उच्च न्यायालय हैं अर्थात् इलाहाबाद, पटना, राजस्थान और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जहां उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निर्णय आदि देने

के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा को भी प्राधिकृत किया गया है।

(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन चाहने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे नामांकन से पूर्व अंग्रेजी भाषा की प्रवीणता-परीक्षा उत्तीर्ण करे ।

सरकारी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1415. **श्री नाथाभाई पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के, उनके स्थानों सहित, नाम क्या हैं जहां हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम को पूर्णतः क्रियान्वित किया जा रहा है और किन-किन उपक्रमों में यह कार्यक्रम पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय वार्षिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वह स्वयं इसे पूरा नहीं कर रहा है ; और

(ग) क्या यह सच है कि वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने की बात तो दूर रही, उनका यह विभाग इसे पढ़ने के लिए भी सहमत नहीं है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में लोक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में हिन्दी के यथासंभव प्रगामी प्रयोग के प्रयोजनार्थ वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं

Legal Aid and Advice Board, Maharashtra

1416. SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) how much amount was sanctioned for the State Legal Aid and Advice Board, Maharashtra for the year 1985-86 by way of grant-in-aid;

(b) whether any report has been submitted by the Maharashtra State Government regarding its utilization;

(c) what is the amount sanctioned by way of grants-in-aid to the State of Maharashtra during 1985-86 for constructing court buildings and other essential ancillary buildings; and

(d) whether Government have received any report regarding its utilization?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): According to the information furnished by the Committee for Implementing Legal Aid Schemes:—

(a) Total amount of grant-in-aid sanctioned by the Committee for Implementing Legal Aid Schemes was Rs. 75,000/- which included the unutilised grants amounting to Rs. 50,000/- sanctioned during the previous financial years.

(b) Rupees 50,000/- were utilised by the Maharashtra State Legal Aid and Advice Board for setting up of Legal Aid Clinics in ten Law Colleges in the State of Maharashtra. A report has also been received from that Board. The remaining amount i.e., Rs. 25,000/- could not be utilised by the Board and has since been refunded to the Committee for Implementing Legal Aid Schemes.

(c) and (d) The Committee for Implementing Legal Aid Schemes does not make any grant-in-aid for construction of court buildings or other ancillary buildings.